"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2024—कार्तिक 3, शक 1946

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 अगस्त 2024

क्रमांक एफ 4-5/2018/एक-7.—छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा-4 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री टी. पी. शर्मा, प्रमुख लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ का निर्धारित कार्यकाल दिनांक 26-08-2024 को पूरा होने तथा नये प्रमुख लोकायुक्त द्वारा दिनांक 27-08-2024 को कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप तत्कालीन प्रमुख लोकायुक्त माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री टी. पी. शर्मा को दिनांक 27-08-2024 से कार्यमुक्त किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 सितम्बर 2024

क्रमांक एफ 10-2/2015/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-9/2018/16, दिनांक 10-04-2018 द्वारा लागू "असंगठित कर्मकारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना", अधिसूचना क्रमांक एफ 10-2/2015/16, दिनांक 11-03-2015 द्वारा लागू "सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना" एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-2/2015/16, दिनांक 11-03-2015 द्वारा लागू "ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना" को अधिक्रमित करते हुये, राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिये निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(1) **योजना का नाम :—**

1. योजना का नाम "असंगठित कर्मकार छात्रवृत्ति योजना" होगा.

(2) **योजना का प्रावधान :—**

1. पंजीकृत असंगठित कर्मकार को, उसकी प्रथम 02 संतानों की छात्रवृत्ति हेतु ही इस योजना का लाभ दिया जावेगा.

2. प्रत्येक कक्षा एवं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित छात्रवृत्ति पंजीकृत असंगठित कर्मकार के बैंक खाते में एकमुश्त हस्तांतरित किया जावेगा.

3. व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने पर, उस सत्र में अध्ययन करना अनिवार्य है. सत्र के बीच में अध्ययन रोकने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस ली जावेगी.

4. ऐसे विद्यार्थी, जो अन्य शासकीय विभाग/संस्था अंतर्गत संचालित योजना से छात्रवृत्ति लेने की पात्रता रखते हों, वे मंडल अथवा उस शासकीय विभाग/संस्था की योजना में से उस योजना का चयन कर सकते हैं, जो उसके लिये अधिक हितकर/लाभप्रद हो, किन्तु किसी भी स्थिति में उसे दोनों योजनाओं का लाभ प्रदान नहीं किया जावेगा.

(3) **योजनांतर्गत देय छात्रवृत्ति :—**

1. पंजीकृत असंगठित कर्मकार को, उसकी प्रथम 02 संतानों के अध्ययन हेतु निम्नानुसार छात्रवृत्ति की राशि प्रतिवर्ष एकमुश्त देय होगा :—

क्र.	कक्षावार विवरण	वार्षिक छात्रवृत्ति राशि	
		छात्र	छात्रा
1.	कक्षा 1 से 5 वीं तक	500/-	750/-
2.	कक्षा 6वीं से 8वीं तक	750/-	1,000/-
3.	9वीं से 12वीं तक	1,000/-	1,500/-
4.	स्नातक/डिप्लोमा	1,500/-	2,000/-
5.	स्नातकोत्तर	2,500/-	3,000/-
6.	स्नातक स्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम (इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, फॉर्मेसी, नर्सिंग, कृषि)	5,000/-	6,000/-
7.	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम (इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, फॉर्मेसी नर्सिंग, कृषि) एवं पीएचडी	6,000/-	8,000/-

(4) **योजना की पात्रता :—**

1. छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत अधिसूचित किसी भी प्रवर्ग में पंजीकृत असंगठित कर्मकार, अपने प्रथम 02 संतानों हेतु इस योजना के लिए पात्र होंगे.

2. मंडल में पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के बच्चों द्वारा यदि इस योजना के समानान्तर राज्य शासन द्वारा संचालित किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति प्राप्त किया गया हो, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.

(5) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

1. योजना के तहत् आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जावेंगे.

2. आवेदक किसी भी च्वाईस सेन्टर/स्वयं के कम्प्यूटर/विभागीय ऐप/विकासखंड स्तरीय श्रम संसाधन केन्द्र अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है.

(6) **योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज :—**

1. प्राचार्य/प्रधानपाठक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें विद्यार्थी के वर्तमान कक्षा में अध्ययनरत होना उल्लेखित हो. उक्त प्रमाण पत्र में सरल क्रमांक एवं दिनांक अंकित होना अनिवार्य है.

2. विद्यार्थी के पूर्व कक्षा की अंकसूची.

3. कक्षा पहली में अध्ययनरत विद्यार्थी का शाला प्रवेश से संबंधित दस्तावेज़

(7) **स्वीकृति का अधिकार :—** योजनांतर्गत आवेदन स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी को होगा.

(8) **भुगतान की प्रक्रिया :—** संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा योजना आवेदन की जांच कर, आवेदन सही पाये जाने की स्थिति में पंजीकृत असंगठित कर्मकार के पंजीयन कार्ड से संबद्ध बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से किया जावेगा.

(9) **योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण :—** योजना के क्रियान्वयन में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो इस संबंध में सचिव, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम होगा.

(10) **योजना का प्रभावशीलन :—** यह योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सूर्यकिरण तिवारी, उप-सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 अक्टूबर 2024

क्रमांक एफ 4-04/2024/30/सं.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-1/30/सं./2006 रायपुर, दिनांक 04-10-2010 द्वारा जारी "पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान नियम-2010" में राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित प्रथम संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उपान्तरणों के अधीन रहते हुए "पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान नियम-2010" में विनिर्दिष्ट शब्द "साहित्य/आंचलिक साहित्य" जहाँ कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "हिन्दी साहित्य" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. यह संशोधन अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 अक्टूबर 2024

क्रमांक एफ 4-04/2024/30/सं.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-1/30/सं./2006 रायपुर, दिनांक 04-10-2010 द्वारा जारी "दाऊ मंदराजी सम्मान नियम-2010" में राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित प्रथम संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उपान्तरणों के अधीन रहते हुए "दाऊ मंदराजी सम्मान नियम-2010" में विनिर्दिष्ट शब्द "लोक कला/शिल्प" जहाँ कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "लोक नाट्य एवं लोक शिल्प" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. यह संशोधन; इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 अक्टूबर 2024

क्रमांक एफ 4-04/2024/30/सं.—राज्य शासन, एतद्द्वारा "चक्रधर सम्मान नियम-2010" में निम्नलिखित आंशिक संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. "चक्रधर सम्मान नियम-2010" में विनिर्दिष्ट शब्द "संगीत एवं कला" के सभी स्थानों पर शब्द "शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. यह संशोधन; इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 अक्टूबर 2024

क्रमांक एफ 4-04/2024/30/सं.—राज्य शासन, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-1/30/सं./2006 रायपुर, दिनांक 19-07-2006 द्वारा स्थापित "देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार नियम-2006" में निम्नलिखित प्रथम संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उपान्तरणों के अधीन रहते हुए "देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार नियम-2006" में विनिर्दिष्ट शब्द "लोक शैली पर आधारित प्रदर्शनकारी छत्तीसगढ़ी लोक कला" जहाँ कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "लोक नृत्य" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. यह संशोधन; इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 अक्टूबर 2024

क्रमांक एफ 4-04/2024/30/सं.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, "लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार नियम-2021" में निम्नलिखित आंशिक संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. "लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार नियम-2021" में विनिर्दिष्ट शब्द "साहित्य/आंचलिक साहित्य" के सभी स्थानों पर शब्द "आंचलिक साहित्य/लोक कविता" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. यह संशोधन; इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 अक्टूबर 2024

क्रमांक एफ 4-04/2024/30/सं.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-1/2023/30/सं., दिनांक 13-07-2023 (छत्तीसगढ़ राजपत्र (साधारण) क्रमांक 36, दिनांक 08 सितम्बर 2023, भाग-1) द्वारा स्थापित "हबीब तनवीर सम्मान नियम-2023" में निम्नलिखित प्रथम संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उपान्तरणों के अधीन रहते हुए "हबीब तनवीर सम्मान नियम-2023" में विनिर्दिष्ट शब्द "छत्तीसगढ़ी नाटक/हिन्दी/अन्य भाषा नाटक, रूपंकर कलाएँ, रंगकर्म" जहाँ कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "समकालीन रंगकर्म (छत्तीसगढ़ी/हिन्दी/अन्य भाषा नाटक)" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. यह संशोधन; इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 5 सितम्बर 2024

प्रारूप-एक

(नियम-11 देखिये)

क्रमांक/5455/202405200900058/अ-82/भू-अर्जन/2023-24.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हतु नियम-11 के तहत् अधिसूचना प्रकाशित की जाती है. नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोण्डागांव	मर्दापाल	कुधूर	0.060	कुधूर-तुमड़ीवाल मार्ग के भवरडींग नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 11-09-2024 को समय 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन-कुधूर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कुधूर-तुमड़ीवाल मार्ग के भवरडींग नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	686.27 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	प्रस्तावित निर्माण पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा का लाभ प्राप्त होगा.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	5.00 लाख
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बस्तर, दिनांक 5 अक्टूबर 2024

क्रमांक/क/भू-अर्जन/01/अ-82/2023-24.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा 19(2) के तहत् यह घोषित किया जाता है ग्राम छोटेजिराखाल से जामगुड़ा मार्ग के कि.मी. 1/6 चितरंगी नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु ग्राम छोटे जिराखाल, प.ह.नं.-04, रा.नि.मं. करपावण्ड तहसील बकावण्ड जिला बस्तर स्थित निजी भूमि अर्जन से प्रभावित खातेदार/परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होंगे.

क्र. (1)	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयय (2)		क्या उपलब्ध कराया गया है यदि उपलब्ध कराया गया है जो ब्यौरा दें. (3)
01	विस्थापन की दशा में मकान इकाइयों की व्यवस्था	—	लागू नहीं होता.
02	भूमि के लिए भूमि	—	लागू नहीं होता.
03	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	—	लागू नहीं होता.
04	वार्षिक या नियोजन का विकल्प	—	छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग निर्देश क्रमांक एफ-7-4/सात-1/2015 दिनांक 29-08-2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम 2013 की अनुसूची "दो" की कंडिका-4 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा.
05	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	—	लागू नहीं होता.
06	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	—	लागू नहीं होता.
07	पशु बाड़ा/छोटी दुकान खर्च	—	लागू नहीं होता.
08	कारीगारों, छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बार अनुदान	—	लागू नहीं होता.
09	मछली पकड़ने का अधिकार	—	लागू नहीं होता.
10	एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	—	लागू नहीं होता.
11	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	—	लागू नहीं होता.

2. तद्नुसार आज दिनांक 05 अक्टूबर 2024 को यह घोषणा पत्र जारी किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिस एस के., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 सितम्बर 2024

प्र. क्रमांक 202302042100087/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की केलो परियोजना के अंतर्गत सिंहा माईनर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अनुसार अधिग्रहण हेतु छ.ग. के राजपत्र में दिनांक 05-05-2023 को प्रकाशित किया गया था, किन्तु उक्त प्रकरण में नियमानुसार धारा-19 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की जाने वाली अंतिम अधिसूचना के पूर्व उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक के तहत अपेक्षक निकाय से अंशत: एवं भागत: राशि प्राप्त नहीं होने एवं निर्वाचन कार्य में व्यवस्तता होने के कारण समयावधि के भीतर प्रकरण में धारा-19 अधिसूचना घोषणा का प्रकाशन नहीं कराया जा सका. आवेदक ईकाई द्वारा भागत: 10 प्रतिशत राशि जमा किये जाने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा-19 की उपधारा 7 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 मास (01वर्ष) की समयावधि वृद्धि की जाती है एवं जन साधारण हेतु सूचना/प्रकाशित की जाती है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सिंहा प.ह.नं. 35	1.397	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग लाखा अ.मु. खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना योजनांतर्गत सिंहा माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 10 सितम्बर 2024

क्रमांक/12879/भू-अर्जन/202010050400006/अ-82/2024.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	बेहरचुंवा प.ह.नं. 40	1.343	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	बोकरदा जलाशय योजना के नहर लाईन में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 सितम्बर 2024

क्रमांक/13717/भू-अर्जन/201912050400019/अ-82.—चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के लिए कालम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार अधिग्रहण हेतु छ.ग. राजपत्र में दिनांक 31 मार्च, 2023 को प्रकाशित किया गया था. ग्राम चोरभट्ठी में मार्च 2024 लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता तथा 500 वर्गमीटर के पुन: जांच में विलंब होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन समय सीमा में नहीं हो पाया है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (7) में वर्णित प्रावधान एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार एक वर्ष समयावृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना प्रकाशित/प्रदर्शित की जाती है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कोरबा	करतला	चोरभटठी प.ह.नं. 29	12	0.777	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग, सेतु निर्माण संभाग बिलासपुर (छ.ग.)	मदवानी-कछार-तराईमार-कुदमुरा मार्ग में छिंदई नाला पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 25 सितम्बर 2024

क्रमांक/13715/भू-अर्जन/201912050400015/अ-82/2024.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-चोरभट्ठी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.777 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1110	0.012
1111	0.121
1073/1	0.016
1073/4	0.032

	(1)	(2)
	1073/6	0.028
	1074	0.065
	1075/1	0.134
	1075/3	0.049
	1075/2	0.049
	1077	0.085
	1079/3	0.093
	1073/5	0.093
योग	12	0.777

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–मदवानी–कछार–तराईमार–कुदमुरा मार्ग में छिंदई नाला पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला–कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 29 मई 2023

राजस्व प्रकरण क्रमांक 202211080200013 अ–82/2022–23.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–कबीरधाम
- (ख) तहसील–बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम–मड़मड़ा, प.ह.नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–0.101 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	514/1	0.101
योग	1	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–नलकूप घोघरा व्यपवर्तन नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बोड़ला, जिला–कबीरधाम (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जनमेजय महोबे, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला–बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बस्तर, दिनांक 5 अक्टूबर 2024

क्रमांक/क/भू–अर्जन/01/अ–82/2023–24.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19(1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–बस्तर
- (ख) तहसील–बकावण्ड
- (ग) नगर/ग्राम–छोटेजिराखाल, प.ह.नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–0.430 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	214/3	0.100
	214/2	0.010
	215	0.300
	216	0.020
योग	04	0.430

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम छोटेजिराखाल से जामगुड़ा मार्ग के कि.मी. 1/6 चितरंगी नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बकावण्ड, जिला बस्तर तथा कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिस एस के., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य वक़्फ बोर्ड
(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत छ.ग. शासन द्वारा गठित)
डॉ. भीमराव अंबेडकर मूर्ति के सामने कलेक्ट्रेट चौक रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2024

क्रमांक/स्था./1128/2024.—श्री गुलाम मिन्हाजुद्दीन, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के विरूद्ध वक्फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013 की धारा 20(क) के अंतर्गत माननीय सदस्यगण द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किये जाने हेतु राज्य शासन द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी श्री मार्टिन लकड़ा, अवर सचिव, छ.ग. शासन, पशुधन विकास विभाग के द्वारा दिनांक 14-10-2024 को सुबह 10.30 बजे बैठक आयोजित की गई जिसमें श्री गुलाम मिन्हाजुद्दीन, अध्यक्ष, छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड को बहुमत से अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के पद से हटाने का संकल्प पारित किया गया.

छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा बहुमत से डॉ. सलीम राज को छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया जिनके द्वारा दिनांक 14-10-2024 को अध्यक्ष, छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड का पद्भार ग्रहण किया गया है.

डॉ. एस. ए. फारूकी,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

कार्यालय आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2024

क्रमांक 2724/सामान्य शाखा/2024.—न्यायालय अपर आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के प्रकरण क्रमांक 25/अ-89/2023-24 में पारित आदेश दिनांक 29-05-2024 के द्वारा सुश्री सुनीता मानिकपुरी, पार्षद, विकास नगर, वार्ड क्रमांक 15 बिलासपुर द्वारा पार्षद पद से स्वेच्छापूर्वक दिये गये त्यागपत्र को स्वीकार किया गया है. फलस्वरूप वार्ड क्रमांक 15 विकास नगर बिलासपुर का पार्षद पद रिक्त हो गया है.

महादेव कावरे,
आयुक्त.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 12th September 2024

No. 1133/Confdl./2024/I-8-2/2010 (Part-IV).—Smt. Shubhra Pachouri, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Joint Secretary, Chhattisgarh Human Rights Commission, Raipur is, hereby, transferred and appointed as Member Judge of Industrial Court, Raipur from the date she assumes charge of her office. Her place of posting shall be Raipur until further orders.

Bilaspur, the 26th September 2024

No. 1160/Confdl./2024/II-2-1/2024.—The incumbent Judicial Officer of the Court, as specified in Column No. (2) of the table below, is, hereby, given additional charge of the Court as mentioned in Column No. (3) in addition to his/her own duties, until further orders :—

TABLE

S. No. (1)	Name of the Court (2)	Additional Charge of the Court of (3)
1.	I District and Additional Sessions Judge, Ambikapur	District and Additional Sessions Judge (F.T.C.), Ambikapur

By Order of the High Court,
BALRAM PRASAD VERMA, Registrar General.